न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12 / 25 / 2021

रजि0 न0 2021 / 51

अपीलार्थीः—

श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र सोहन सिंह, निवासी ग्राम बसई भोपाल सिंह, ग्रा0प0 माजरा तहसील नीमराना, अलवर (राजस्थान)।

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन जिला रसद अधिकारी अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 12.04.2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 05.12.2020 प्रस्तुत कर बिन्दुवार सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 22.02.2021 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन जिला रसद अधिकारी से जवाब प्राप्त नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपील का कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया, जवाब प्रस्तुत नही करने पर न्यायालय के पत्रांक 394 दिनांक 04.03.2021, 573 दिनांक 18.03.2021 के द्वारा स्मरण पत्र जारी कर सूचना चाही गई किन्तु सूचना आदिनांक तक अप्राप्त है। जिससे जाहिर है, कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया, उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है साथ ही लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन जिला रसद अधिकारी, अलवर को निर्देशित किया जाता है, कि अपीलार्थी को वांछित सूचना यदि नियमों के अनुसार देयता की श्रेणी में आती हो तो वांछित सूचना निःशुल्क उपलब्ध करवावें। निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
6. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर